रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 21, 1973/आषाढ़ 30, 1895

No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 21, 1973/ASADHA 30, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (Including orders, by-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories.)

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 30 जून, 1973

सा० का० नि० 740.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इस सम्बन्ध में उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 में और आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम (पांचवा संशोधन) नियम, 1973 कहे जा सकेंगे।

(2) इन्हें 2 जनवरी, 1971 से लागू हुआ समझा जायेगा।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 में, 'क अनुभाग अधिकारी ग्रेड' शीर्षक के अन्तर्गत अनुसूची में पैरा 2 के उप पैरा (1) की मद (ख) के नीचे टिप्पणी 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"टिप्पणी 2 —चयन समिति में भारत सरकार के सचिव अथवा विशेष सचिव या अपर सचिव के रैंक का एक अध्यक्ष और संयुक्त सचिव के रैंक के तीन सदस्य होंगे।"

केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पांचवां संशोधन) नियम, 1973 के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक ज्ञापन

मूल रूप से तैयार किये गये नियमों में यह उपबन्ध रखा गया था कि अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के लिये लम्बी सेवा वाले सहायकों के चयन हेतु प्रवरण समिति का अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव के रैंक का होगा। पिछले तीन वर्षों में चयन समितियों के अध्यक्ष या तो विशेष सचिव या अपर सचिव के रैंक के ही थे। हालांकि कई प्रयोजनों के लिये वे रैंक और हैसियत में भारत सरकार के सचिव के समकक्ष है, फिर भी यह निर्णय किया गया है कि चयन समितियों के अध्यक्ष के रूप में विशेष सचिव/अपर सचिव की नियुक्ति को विद्यमान नियमों में संशोधन करके नियमित कर दिया जाये। इसलिये संशोधन को 2 जनवरी, 1971 से, उस तारीख से जब केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों में मूल उपबन्ध रखा गया था, भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव दिये जाने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० एफ० 1/6/73-के० स० (1)]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड)

बम्बई 6, 9 मई, 1973

सा०का०नि० 771—चलचित्र (सेन्सर) नियमावली 1958 के नियम 10 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड ने अधीक्षक, श्री ए० टी० टेकचन्दानी को 2 मई, 1973 के पूर्वाह्न से लेकर अगला आदेश मिलने तक श्री बी० एल० काठेवाडी के स्थान पर जिसको मुअत्तल किया गया है, स्थानापन्न सहायक प्रादेशिक अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड, बम्बई, नियुक्त किया है।

[स० ए० 20013/1/72 के फि. से. बोर्ड]
विरेन्द्र डी व्यास, अध्यक्ष

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

(Central Board of Film Censors)

Bombay, the 9th May, 1973

G.S.R. 771.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-rule (1) of rule 10 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, Shri A T Teckchandani, Superintendent, Central Board of Film Censors, Bombay is appointed as Assistant Regional Officer, Bombay with effect from 2nd May, 1973 until further orders vice Shri B L Kathewadi placed under suspension

[No. A. 20013/1/72 CBFC-Admn.]
VIRENDRA D VYAS, Chairman

नई दिल्ली, 29 जून, 1973

सा. का. नि. 772.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1973 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में 'सीनियर स्टेनोग्राफर' से सम्बंधित क्रम संख्या 57 के सम्मुख कालम 7 के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"कालम 13 में निर्दिष्ट जूनियर स्टेनोग्राफर में से आशुलिपि की क्वालीफाइंग परीक्षा में 120 शब्द प्रति मिनट की गति के आधार पर वरियता व योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत। उन जूनियर स्टेनोग्राफरों को, जिन्होंने आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति से पहले ही अर्हता प्राप्त कर ली हो और जिनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र संख्या 7/1/68-बी ए दिनांक 28 फरवरी 1967 में निहित अनुदेशों के अनुसार इस निमित्त 4 अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जा चुकी हों, क्वालीफाइंग परीक्षा में बैठने से छूट होगी।"

[संख्या 9/22/70-एस-2]
ए. वी. नारायणन, अवर सचिव

New Delhi, the 29th June, 1973

G.S.R. 772.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, namely —

1 (1) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1973

(2) They shall come into force o nthe date of their publication in the Official Gazette

2 In the Schedule to All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, against Serial No 57 relating to the post of "Senior Stenographer", in Column 7, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"100 per cent by promotion on seniority cum-fitness basis from amongst the Junior Stenographers indicated in Column 13 on the basis of qualifying examination in short hand at speed of 120 words per minute Junior Stenographers who have already qualified in shorthand at the speed of 120 words per minute and have been granted 4 advance increments on that account in accordance with the instructions contained in the letter No 7/1/68 B(A) dated 28th February 1967, of the Ministry of Information and Broadcasting will be exempted from takinfi the qualifying examination"

[No 1/11/73-B(A)]
A V NARAYANAN, Under Secy

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जून, 1973

सा. का. नि. 773.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग (अधीनस्थ कार्यालय) अनुसचिवीय पद (वर्ग 3) भर्ती नियम 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग (अधीनस्थ कार्यालय) अनुसचिवीय पद (वर्ग 3) भर्ती (संशोधन) नियम, 1973 है।"

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 **नियम 8 के स्थान पर नए नियम का रखा जाना.**—केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग (अधीनस्थ कार्यालय) अनुसचिवीय पद (वर्ग 3) भर्ती नियम, 1965 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8 **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के